

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश



(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 03.01.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्रम	आदेश में क्रम संख्या	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मदिनांक	आंशिक संशोधित	जिला
1	3	4	5	6	7	8	
1	91	MOHAN LAL	GGSSS KUKANWALI/ KUCHAMAN/ NAGAUR	History	01/04/1961	नाम MOHAN LAL KASOTIYA के स्थान पर MOHAN LAL संशोधित	NAGAUR
2	233	CHOTU LAL	GSSS (214161) SOJAT ROAD/ SOJAT/ PALI	Commerce	01/01/1961	नाम CHOTU LAL JOSHI के स्थान पर CHOTU LAL संशोधित	PALI

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 27/11/2020

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2020-21

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है,
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर